रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062024-254995 CG-DL-E-27062024-254995

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2356]

No. 2356]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2024/आषाढ 6, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2024/ASHADHA 6, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2024

का.आ. 2478(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ 1 में उल्लिखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध मे उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात-:

अनुसूची	
प्राधिकारी का पद और पता	अधिकारिता का क्षेत्र
(1)	(2)
श्री सुरेश कुमार सिंघल	हरियाणा राज्य
सक्षम प्राधिकारी,	
न्यू मुन्द्रा पानीपत कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना,	
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन्स,	
बाहोली, पानीपत – 132140, हरियाणा	

3807 GI/2024 (1)

उपरोक्त अनुसूची के कॉलम (1) में उल्लिखित व्यक्ति,अनुसूची के कॉलम (2)में उल्लिखित क्षेत्रमें,उक्त अधिनियम के तहत अधिसूचित "सक्षम प्राधिकारी", इससे पुर्ब एस.ओ. संख्या 3728 (ई) दिनांक 08.08.2022 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में दिनांक 08.08.2022 प्रकाशित अनुसूची के कॉलम (1) द्वारा उल्लेख किया गया व्यक्ति के अतिरिक्त होगा।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11017/6/2022-ओआर-I/ई-45116]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2024

S.O. 2478(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Government of India hereby authorises the person mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the "Competent Authority" under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the said Schedule:

SCHEDULE	
Designation and address of the Authority	Area of jurisdiction
(1)	(2)
Sh.Suresh Kumar Singhal,	State of Haryana
Competent Authority,	
New Mundra Panipat Crude Oil Pipeline Project, Indian Oil Corporation Limited, Northern Region Pipelines,	
Baholi, Panipat – 132140, Haryana	

The person mentioned in column (1) of the above given Schedule to perform the functions of the "Competent Authority" under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the said Schedule shall be in addition to the person mention in column (1) of the schedule published in Gazette of India on 08.08.2022 vide S.O 3728 (E) dated 08.08.2022.

This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-11017/6/2022-OR-I/E-45116]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.